न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
165/2024	2024/262	15.10.2024	09.01.2026

उनवान प्रकरण

1. रामकरण स्वामी पुत्र बालूदास स्वामी, जाति स्वामी, निवासी भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.
2. कैलाश चंद पुत्र बालूदास स्वामी, जाति स्वामी निवासी भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भंवरा जाति गुर्जर, निवासी बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट

1. वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री उपवन सैनी व निर्मल कुमार मौर्य के द्वारा पेश वादपत्र निम्नानुसार है कि स्थित ग्राम बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 190/1.23 में वादी संख्या 01 का हिस्सा 20/123 खसरा नम्बर 190/1.23 में वादी संख्या 02 का हिस्सा 20/123 का खातेदार काश्तकार काबिज है शेष हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी है।

2. वादीगण व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, वादीगण अपने हिस्से की भूमि का तकास्मा करवाकर हिस्सा कर शांतिपूर्ण तरीके से खेती बाडी करना चाहते है तथा अपने हिस्से की भूमि के तार बाउण्ड्री करवाना चाहते है यह सब करने के लिए सर्वप्रथम सहखातेदारी भूमि का तकास्मा करवाया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादी को अनेको बार अपनी–अपनी भूमि का तकास्मा करवाने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादी समझौतापूर्ण तरीके से तकास्मा करवाने के लिए तैयार नही है। जबकि वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को विकसित करने हेतू तकास्मा करवाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी घरेलू ईर्ष्यावश सहखातेदारी का लाभ उठाकर बार–बार वादीगण के कब्जे की स्थिति बदल देते है रास्ते पर लगती हुई भूमि को स्वयं हडप करना चाहते है। जब तक कानून तकास्मा नही हो जाता प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने हिस्से की भूमि का सुधार कार्य करवाने में असमर्थ है।

3. वादीगण ने अपने भूमि का तकास्मा करवाने के अनेको बार प्रयास किये परन्तु प्रतिवादीगण तैयार नही है ऐसी स्थिति में अदालत श्रीमान की शरण में आना आवश्यक हुआ अब वादीगण की भूमि का तकास्मा किया जाना आवश्यक है और अदालत श्रीमान से सविनय वादपत्र पेश है।

4. विवादित भूमि अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः अदालत श्रीमान को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस 2 रू. पेश है।

5. दावाकृतअनुतोष यह है कि वादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर स्थित ग्राम बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 190/1.23 में वादी संख्या 01 का हिस्सा 20/123 खसरा नम्बर 190/1.23 में वादी संख्या 02 का हिस्सा 20/123 का तकास्मा कर उसे तन्हा रूप से खातेदार घोषित किया जावे। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6. दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा इस कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 28.04.2025 वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार पावटा को बंटवारा रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 29.12.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीदलार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतू निवदेन किया। जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी वकील ने बैंक के हितो को ध्यान में रखते हुए वाद को तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार फाईनल डिक्री करने हेतू निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 190/1.23 हैक्टेयर वाके मौजा बुचारा, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	ख.न./रकबा
1	कैलाश पुत्र भंवरा हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	190/1 रकबा 0.83 हैक्ट0 भूमि।
2	कैलाश चन्द 1/2, रामकरण स्वामी 1/2 पि. बालूदास जाति स्वामी निवासी भूरीभड़ाज तह पावटा खातेदार	190/2 रकबा 0.40 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
165/2024	2024/262	15.10.2024	09.01.2026

उनवान प्रकरण

1. रामकरण स्वामी पुत्र बालूदास स्वामी, जाति स्वामी, निवासी भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.
2. कैलाश चंद पुत्र बालूदास स्वामी, जाति स्वामी निवासी भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भंवरा जाति गुर्जर, निवासी बुचारा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा अर्न्तगत धारा 53 व 188 आरटीएक्ट

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है। कि आराजी खसरा न0 190/1.23 हैक्टेयर वाके मौजा बुचारा, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	ख.न./रकबा
1	कैलाश पुत्र भंवरा हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	190/1 रकबा 0.83 हैक्ट0 भूमि।
2	कैलाश चन्द 1/2, रामकरण स्वामी 1/2 पि. बालूदास जाति स्वामी निवासी भूरीभड़ाज तह पावटा खातेदार	190/2 रकबा 0.40 हैक्ट0 भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	|	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	|
जोड़		जोड़	